<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी ए/4538/2005/अलवर</u>

1– महावीर प्रसाद पुत्र सोहनलाल चमार (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1 श्रीमती छोटा पत्नी महावीर

1/2 श्री अजय कुमार पुत्र महावीर

1/3 श्री मनोज कुमार पुत्र महावीर

2– बाबूलाल पुत्र सोहनलाल चमार

समस्त निवासीगण ग्राम तलवाना तहसील नीमराना जिला अलवर।

.....**अपीलार्थीगण**

बनाम

1– श्री रामजीवण पुत्र प्रभाती चमार (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/1 श्रीमती प्यारदेवी पत्नी रामजीवण

1/2 पुरूषोत्तम पुत्र रामजीवण

1/3 लक्ष्मीचन्द पुत्र रामजीवण

1/4 सरोज पुत्री रामजीवण

1/5 मंजू पुत्री रामजीवण

1/6 मनीषा पुत्री रामजीवण

1/7 प्रियंका पुत्री रामजीवण

सभी निवासीगण ग्राम तलवाना तहसील नीमराना जिला अलवर।

.....**प्रत्यर्थीगण**

खण्ड पीठ
श्री सी.आर. मीना, सदस्य
श्री सत्तार खां, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री गिरीश पारीक, अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः **21–12–22**

यह अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 02–09–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत अपील संख्या 82/2001 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट रामजीवण ने एक वाद घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादी/अपीलार्थी के पिता सोहनलाल पुत्र बोदन चमार के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 527/502 रकबा 4 बीघा जिसके खसरा नंबर 887 रकबा 46 एयर एवं 888 रकबा 43 एयर वाके ग्राम तलवाना में स्थित है। वादग्रस्त आराजी रामजीवण को 13–09–75 को अलॉट की गई थी और उसी दिन कब्जा दिया गया तभी से उस भूमि पर किसी का कोई सरोकार नहीं है परंतु बंदोबस्त विभाग से सांठगांठ कर उसने उपरोक्त आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा दर्ज करवा लिया है जो खिलाफ मौका व रिपोर्ट के है। नए नंबर में 11 एयर भूमि कम अंकित की गई है। राजस्व अभिलेख में गलत इंद्राज के आधार पर प्रतिवादी आए दिन वादी से

लडाई झगड़ा करता है तथा भूमि रहनबमुन्तकिल करने की धमकी देता है इस कारण यह वाद उत्पन्न हुआ। दावा का जवाब दावा 22–03–01 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह भूमि अपीलार्थी को शामलाती अलॉट की गई थी तभी से भूमि पर शामलाती 1/2, 1/2 भाग काश्त कब्जा चला आ रहा है, बंदोबस्त भी सही रूप से राजस्व अभिलेख में इंद्राज किए है और आज भी मौके पर यह भूमि 1/2, 1/2 बंटी हुई है और इसी प्रकार शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। जवाबदावे में प्रतिवादीगण/अपीलार्थी ने काण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी चाचा भतीजे है जिन्हें भूमि शामलाती अलॉट हुई है तभी से उनका कब्जा काश्त है। गांव में इस प्रकार शामलाती कई आवंटन हुए है प्रतिवादी का भूमि पर अर्से दराज से कब्जा काश्त है और वो एडवर्स पजेशन के आधार पर भी भूमि के खातेदार घोषित किए जाने योग्य है। दावा एवं दजावदावा व काउण्टर क्लेम के आधार पर दिनांक 22–03–01 को अनुतोष सहित कुल 5 तनकियात कायम की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण की और से दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई। परीक्षण न्यायालय उप जिला कलेक्टर बहरोड ने पक्षकारान की बहस सुनकर अपने आदेश व डिक्री दिनांक 21–03–01 से वादी का वाद स्वीकार कर लिया तथा प्रतिवादी/ अपीलार्थी के काउण्टर क्लेम के बाबत् कोई किसी प्रकार का निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया। प्रतिवादी/ अपीलार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर में प्रस्तुत की जिसे उन्होंने पक्षकारान की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02–09–2004 से खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3– उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 15–9–2015 तथा अपील पर सुनी गई।

4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–9–2004 की जानकारी उसके अभिभाषक ने नहीं दी, जब रेस्पोन्डेन्ट उसे विवादित भूमि से बेदखल करने हेतु दिनांक 01–9–2005 को मौके पर गया तो ज्ञात हुआ कि उसके विरूद्ध एक वर्ष पूर्व अपीलीय न्यायालय में निर्णय हुआ है। अपीलार्थी ने उक्त तथ्यों की जानकारी कर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार की जावे।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/ अपीलार्थी ने मौखिक साक्ष्य में 4 गवाह प्रस्तुत किए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी इत्यादि प्रस्तुत की जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि अपीलार्थी भूमि विवादग्रस्त पर अर्से दराज से काबिज काश्त है। न्यायालय में एडवर्स पजेशन का कोई बिंदु एवं साक्ष्य विवेचित किए बिना निर्णय पारित करने में न्यायिक भूल की है। परीक्षण न्यायालय ने बिना किसी राजस्व कर्मचारी को न्यायालय में बुलाकर वादी द्वारा बताए गए रकबे को हेक्टर में तब्दील करने की इस्तदुआ को यथा स्वीकार करने में न्यायिक भूल की है। उनके समक्ष ऐसा कोई आंकडा नहीं था कि 4 बीघा 1 हेक्टर के समान होती हो और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य था कि रामजीवण और रामजी लाल एक ही व्यक्ति हो। तदोपरान्त

परीक्षण न्यायालय ने राजस्व अभिलेख में रामजी लाल को रामजीवण बना दिया, 4 बीघा जमीन को 1 हेक्टर बना दिया और अपीलार्थी प्रतिवादी का नाम कलमजन कर दिया इस प्रकार पारित डिक्री न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी/ अपीलार्थी के काउण्टर क्लेम के बाबत् किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया और ना ही एडवर्स पजेशन के बाबत् कोई विवेचना विश्लेषण किया है इसके अभाव में निर्णय व डिक्री प्रभाव व शून्य होती है। परीक्षण न्यायालय ने गौर नहीं किया कि वादी का दावा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। वादी ने अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है इसके अभाव में वाद प्रभाव शून्य है जबकि राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अपीलार्थी–रेस्पोन्डेन्ट विवादित भूमि के 1/2, 1/2 भाग के खातेदार अंकित है। यह अंकन संख्या 2042 से चला आ रहा है जिसे काफी अर्से बाद जाकर चुनौती दी गई है। कब्जे के मामले में भी अपीलार्थी ने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है जिसमें एक ने कथन किया है कि भूमि पर 1/2, 1/2 भाग पर अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट काबिज काश्त है तदोपरान्त उन्हें विवेचित नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में न्यायिक भूल की है। विद्वान अभिभाषक ने बहस में कहा कि वादी रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा बल्कि आवंटन चूंकि शामलाती हुआ था। इस कारण आवंटन के समय से ही अपीलार्थी का कब्जा रहा है। इस प्रकार बिना कब्जे के घोषणा का वाद नहीं लाया जा सकता है इस हेतू न्यायिक दृष्टांत 1989 आरआरडी पृष्ठ 527 को पेश करते हुए कहा कि इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि ‘‘Relief of declaration cannot be granted to a person who is not in possession.’’ इस प्रकार

पारित डिक्री न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 2016 एआईआर 89, 1989 आरआरडी 527 की नजीरें पेश की।

6– रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी/ रेस्पोर्डेंट राजजीवन को अकेले को आवंटित हुई थी। सोहनलाल और रामजीवण अलग–अलग रहते थे। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अकेले रेस्पोर्डेंट रामजीवण को ही पट्टा जारी किया गया था, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। कब्जा भी मुझे मिला था। भू प्रबंध विभाग को इन्द्राज चेन्ज करने का अधिकार नहीं है। भू प्रबंध विभाग द्वारा सम्वत 2042 में अपीलार्थी और रेस्पोर्डेंट के नाम जो 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है, वह कानूनन खिलाफ है। अपीलार्थी के जानकारी में आते ही शीघ्र अपीलार्थी के द्वारा दावा किया गया। घोषणा के दावे की कोई मियाद नहीं होती है। अपीलार्थी ने मौखिक साक्ष्य से भी वाद को साबित कराया है। प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा काउन्टर क्लेम में इन्होंने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी हमें शामलाती रूप से आंवटित हुई है। इन्होंने इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया है कि जहां तक कब्जे की बात है, कब्जा आवंटन के समय वादी/रेस्पोर्डेंट को मिला था। अपीलार्थी के पास कब्जा कहां से आया ?, इन्होंने कब्जे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। रेस्पोन्डेन्ट ने आवंटन पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किया है जिससे साबित होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी रेस्पोन्डेन्ट को आवंटित हुई है। मौके पर रेस्पोर्डेंट का ही कब्जा है। अपीलार्थी को

राजस्व रिकार्ड में इंद्राज कैसे व किस दस्तावेज के आधार पर आधी भूमि दर्ज की है? अपीलार्थी ने साबित नहीं करवाया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील में विरोध किया कि परीक्षण न्यायालय ने काउण्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया जबकि परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में काउण्टर क्लेम खारिज किया है। अतः अपील खारिज की जावे। उप जिला कलेक्टर बहरोड ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादी का वाद डिक्री किया है जिसका समर्थन प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा भी किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 1989 आरआरडी पेज 527 (आरटी एक्ट) धारा 214, 2022 आरबीजे पेज 615, 2016–2017 आरआरटी पेज 517, 2020 आरआरटी पेज 37 की नजीरें पेश की।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

8– जहां तक अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने का प्रश्न है, अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कथन किया है कि अपीलार्थी को अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–9–2004 की जानकारी उसके अभिभाषक ने नहीं दी, जब रेस्पोन्डेन्ट उसे विवादित भूमि से बेदखल

करने हेतु दिनांक 01–9–2005 को मौके पर गया तो ज्ञात हुआ कि उसके विरूद्ध एक वर्ष पूर्व अपीलीय न्यायालय में निर्णय हुआ है। अपीलार्थी ने उक्त तथ्यों की जानकारी कर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के उक्त कथन को विपक्षी ने खण्डनात्मक साक्ष्य में कोई काउण्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपीलार्थी के कथनों पर विश्वास करते हुये अपील को अन्दर मियाद माना जाता है।

9– जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट रामजीवण ने एक वाद घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादी/अपीलार्थी के पिता सोहनलाल पुत्र बोदन चमार के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड में वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रस्तुत किया। वादग्रस्त आराजी रामजीवण को 13–09–75 को अलॉट की गई थी। दावा का जवाब दावा 22–03–01 को प्रस्तुत किया। जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी चाचा भतीजे है जिन्हें भूमि शामलाती अलॉट हुई है तभी से उनका कब्जा काश्त है। दावा एवं जवाबदावा व काउण्टर क्लेम के आधार पर दिनांक 22–03–01 को अनुतोष सहित कुल 5 तनकियात कायम की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण की और से दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई। परीक्षण न्यायालय उप जिला कलेक्टर बहरोड ने उभयपक्षकारान की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–01 से वादी का वाद स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी/ अपीलार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर में प्रस्तुत की जिसे उन्होंने पक्षकारान की बहस सुनकर

अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02–09–2004 से खारिज कर दी।

10– अपीलार्थी का अपील में मुख्यतः दो तर्क है प्रथमतः वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से पर वादी का कब्जा नहीं होकर प्रतिवादी का कब्जा है। अतः बिना कब्जे के वादी घोषणा का वाद नही ला सकता है। इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अकेले रेस्पोडेंट रामजीवण को ही पट्टा जारी किया गया था। अतः यह स्वाभाविक है कि कब्जा आवंटी को ही सुपुर्द किया जाता है यद्यपि कब्जा सुपुर्दगी का दस्तावेज उभयपक्ष में से किसी ने पेश नहीं किया है किन्तु अपीलार्थी ने यह किसी प्रकार से साबित नहीं कराया है कि अपीलार्थी के पास कब्जा कहां से आया?, इन्होंने कब्जे के सम्बन्ध में परीक्षण न्यायालय में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जबकि रेस्पोन्डेन्ट ने आवंटन पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किया है जिससे साबित होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी रेस्पोन्डेन्ट को आवंटित हुई है। अतः स्वाभाविक रूप से आवंटित भूमि पर रेस्पोडेंट को ही कब्जा सुपुर्द हुआ है।

11– विद्वान अभिभाषक ने दूसरा मुख्य तर्क यह दिया है कि परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी/ अपीलार्थी के काउण्टर क्लेम के बाबत् किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय के पृष्ट संख्या 7 के अंतिम पैरा में अंकन किया है कि ‘‘बाकी क्लेम के बाबत दावा खारिज किया जाता है।’’ इस कारण अपीलार्थी द्वारा तर्क आधारहीन है कि काउण्टर क्लेम के बाबत् आदेश पारित नहीं किया। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण प्रश्नगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होते हैं। वादी/ रेस्पोन्डेन्ट द्वारा

अपना वाद साक्ष्य, दस्तावेजात के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल होने की स्थिति में ही डिक्री किया गया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष को पुष्ट किया गया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समान निष्कर्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि परीलक्षित नहीं है।

12– उपरोक्त विवेचना के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

13– परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सत्तार खां)
सदस्य

(सी.आर. मीना)
सदस्य